न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
78 / 2025	25.06.2025	24.09.2025

पीठासीन अधिकारी – दीपक महावर (आर.ए.एस.)

1. मदनलाल आत्मज छोटया उर्फ छोटूलाल जाति कुम्हार निवासी खण्डगांव तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

1. गोपाल लाल आत्मज छोटया उर्फ छोटूलाल
2. कस्तूरचन्द आत्मज छोटया उर्फ छोटूलाल
3. शिवनारायण आत्मज छोटया उर्फ छोटूलाल
4. हीरालाल आत्मज छोटया उर्फ छोटूलाल जाति कुम्हार निवासीगण खण्डगांव तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :– श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खण्डगांव तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 76 रकबा 0.36 हे0 खसरा नम्बर 78 रकबा 0.23 हे0 खसरा नं0 79 रकबा 0.66 हे0 कुल 3 किता रकबा 1.25 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि उक्त भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के दादा शंकरलाल जी के नाम दर्ज चली आ रही थी। शंकरलाल जी की मृत्यु के बाद उनके पांचो पुत्र फूंदीलाल, धन्नालाल, छोटया, मथुरालाल, बिरधा के नाम 1/5–1/5 हिस्से से दर्ज हुई। पांचों की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। किन्तु छोट्या जी के 1/5 हिस्से की भूमि सहवन से मदनगोपाल के नाम दर्ज हो गयी जो गलत है। छोटू जी के वादी व प्रतिवादी नं0 4 वारिसान है तथा छोटू जी के मदन गोपाल नाम का कोई पुत्र नहीं है बल्कि मदनलाल व गोपाललाल दोनों अलग–अलग पुत्र है

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)